शास. डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

- विवरणिका -

प्रथम-खण्ड

महाविद्यालय का परिचयात्मक वृत्त -

छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना शैक्षणिक जगत की एक दीर्घकालीन मांग के तहत 14/9/1982 ई. मात्र पांच छात्राओं से कला संकाय से शुभारंभ हुई और विकास के शीघ्रगामी पदचाप करते हुए शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, गृहविज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की शिक्षा प्रदान करने लगा इतना ही नहीं, लगभग 2000-2500 छात्राओं को शिक्षा सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय, संबंधित विषयों में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य की सुविधा भी दे रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (नैक टीम) द्वारा निरीक्षण उपरान्त हमारे महाविद्यालय को B श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है (Grade B-2.9 CGPA) । जिसके कारण यह महाविद्यालय दुर्ग संभाग के समस्त कन्या महाविद्यालयों में प्रथम एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तृतीय स्थान पर आता है।

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2F और 12B योजना के अंतर्गत 1986 से पंजीकृत हुआ एवं 1 जुलाई 2008 में शासन के द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई।

उपलब्ध शैक्षणिक सुविधायें :-

(1) अध्यापन :-

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, गृहविज्ञान एवं वाणिज्य चार संकायों में शिक्षण सुविधा है। स्नातकोत्तर स्तर पर, कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, प्राणिशास्त्र तथा गृहविज्ञान संकाय में आहार एवं पोषण, वाणिज्य में अध्यापन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त गृहविज्ञान, हिन्दी एवं वाणिज्य संकाय में शोध केन्द्र संचालित है।

विभिन्न संकायों में उपलब्ध स्थान :-

(क)	**कला संकाय :-**		**उपलब्ध छात्रा संख्या**
	बी.ए. भाग एक	-	300
	स्नातकोत्तर हिन्दी	-	30
	अर्थ शास्त्र	-	30
	समाज शास्त्र	-	30
	भूगोल	-	15
	राजनीतिक शास्त्र	-	30
	अंग्रेजी साहित्य	-	20

(ख) विज्ञान संकाय :- उपलब्ध छात्रा संख्या

बी.एस-सी. भाग एक (बायो) -
बी.एस-सी. भाग एक (गणित)- } 220 बी.एस-सी भाग-1 (माईक्रोबायोलाजी) - 30

 मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

एम.एस-सी. (प्राणि शास्त्र) - अधिकतम 10 छात्रायें प्रथम सेमेस्टर
एम.एस-सी. (गणित) - अधिकतम 20 छात्रायें प्रथम सेमेस्टर
एम.एस-सी. (रसायन) - अधिकतम 10 छात्रायें प्रथम सेमेस्टर
एम.एस-सी.(भौतिक शास्त्र) - अधिकतम 10 छात्रायें प्रथम सेमेस्टर
एम.एस-सी. (वनस्पति शास्त्र) - अधिकतम 15 छात्रायें प्रथम सेमेस्टर

(ग) गृह-विज्ञान संकाय :-

1. बी.एस.सी. गृहविज्ञान (प्रथम) - एक सेक्शन 64
   बी.एस.सी. गृहविज्ञान व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रथम फूड सांइस एवं क्वालिटी कंट्रोल - एक सेक्शन 30
2. व्यवसायिक - फूड साईंस एवं क्वालिटी कंट्रोल - अतिरिक्त विषय
3. एम.एस.सी. गृहविज्ञान आहार एवं पोषण प्रथम सेमेस्टर - एक सेक्शन 20

टीप : 1. महाविद्यालय में यू.जी.सी. द्वारा प्रदत्त एड-ऑन कोर्स "फूड साइंस एवं क्वालिटी कंट्रोल" में सभी विषय की प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। उपलब्ध स्थान - 30

2. विज्ञान समूह में बी.एस-सी. (माइक्रो बॉयोलाजी) तथा एम.एस-सी. रसायन शास्त्र में स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

(घ) वाणिज्य संकाय :- उपलब्ध सीट संख्या

बी.काम. भाग एक - 290
एम.काम. (प्रथम सेमेस्टर) - 50

अध्यापन हेतु उपलब्ध विषय :-

(अ) कला संकाय :-

स्नातक स्तर बी.ए. भाग एक (क) अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम
(हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण विज्ञान

(क) ऐच्छिक विषय :-

निम्नलिखित पांच विषय समूहों में से और उपलब्ध रिक्त स्थानों पर ही प्रवेश दिया जायेगा, कोई तीन समूहों से एक-एक विषय का चयन करें -

समूह :- 1. समाज शास्त्र 2. राजनीतिक शास्त्र/गृह विज्ञान/चित्रकला
3. अर्थशास्त्र/संगीत/नृत्य 4. भूगोल/मनोविज्ञान
5. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य 6. हिन्दी साहित्य

(ख) बी.ए. भाग दो एवं बी.ए. भाग तीन कक्षाओं के लिए वही विषय मान्य होंगे जो बी.ए. प्रथम वर्ष में लिए गये हैं। विषय परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

(ब) विज्ञान संकाय के विषय :-

बी.एस.सी. भाग -एक, दो एवं तीन की छात्राओं हेतु

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(क) अनिवार्य विषय - • आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा) • पर्यावरण विज्ञान

(ख) ऐच्छिक विषय समूह - 1. भौतिक शास्त्र/गणित/रसायन शास्त्र
2. रसायन शास्त्र/वनस्पति विज्ञान/प्राणीशास्त्र
3. रसा. शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/माइक्रोबायोलाजी

स्नातकोत्तर स्तर :- 1. प्राणीशास्त्र 2. भौतिक शास्त्र 3. गणित
4. रसायन शास्त्र 5. वनस्पति शास्त्र

(स) गृह विज्ञान संकाय के विषय :-

(क) बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) भाग एक

1. फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन/बेसिक न्यूट्रिशन एंड फूड केमेस्ट्री
2. इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट।
3. इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेव्हलपमेंट एंड फेमिली डायनेमिक्स।
4. इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग।
5. कम्यूनिटी डेव्हलपमेंट पर्सपेक्टिव्ह एंड एप्रोचेस, सोशियो इकानॉमिक एनालिसिस ऑफ कम्यूनिटी।
6. पर्सनल एम्पावरमेंट एवं कम्प्यूटर बेसिक/फूड माइक्रोबायोलाजी सेनिटेशन एवं हाइजिन।
7. आधार पाठ्यक्रम।
8. पर्यावरण।

(ख) बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) भाग दो

1. न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिसीजेस।
2. टेक्सटाइल एंड लाउंड्री साइंस।
3. कम्यूनिटी न्यूट्रिशन एंड एप्लाइड लाइफ साइंसेस/फूड प्रिजर्वेशन सेसरी इव्हेलूएशन एंड फूड पैकेजिंग।
4. कम्यूनिकेशन प्रासेस/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन
5. लाइफ स्पान डेव्हलपमेंट
6. कन्ज्यूमर इकानॉमिक्स
7. आधार पाठ्यक्रम।

(ग) बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) भाग तीन

1. न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री।
2. फूड प्रिजर्वेशन/फूड एनालिसिस एंड फूड टाक्सीकोलाज
3. अर्ली चाइल्डहुड एजूकेशन।
4. एक्सटेंशन एजूकेशन/फूड मैनुफैक्चरिंग एडल्ट्रेशन एंड टेस्टिंग
5. फाउन्डेशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन।
6. एपरल मेकिंग।
7. आधार पाठ्यक्रम

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(द) वाणिज्य संकाय के विषय :-

(1) बी.काम. भाग एक एवं भाग दो कक्षाओं के लिए
विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमानुसार अध्यापन होगा

(2) बी.काम. भाग तीन

1. आधार पाठ्यक्रम 2. अप्रत्यक्षकर 3. आयकर 4. प्रबंधकीय लेखांकन
5. अंकेक्षण 6. वैकल्पिक समुह (अ) मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवहार (ब) बीमा के तत्व

टीप : 1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अध्ययन कराये जावेंगे।
2. दिये गये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन पाठ्यक्रम की सूचना प्रारंभ होने के उपरान्त पृथक से दी जावेगी। संभवतः सत्र 2015-16 में यह प्रारंभ से जावेगा।

(3) महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधायें :-

छात्रावास-महाविद्यालय परिसर में ही छात्राओं के लिये छात्रावास की व्यवस्था है। संभवतः सत्र 2016-17 में यह प्रारंभ हो जावेगा। जिसके लिये अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(4) पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 35,000 (पैंतीस हजार) पुस्तकें एवं जर्नल्स उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययनरत - अनु.जाति/अनु.जन. जाति वर्ग तथा बी.पी.एल. वर्ग की छात्राओं को बुक बैंक योजना के तहत परीक्षा समाप्ति तक पुस्तकें निर्गत की जाती है। पुस्तकालय में वाचनालय व्यवस्था के अन्तर्गत 20 (बीस) पत्रिकायें, 06 (छः) समाचार पत्रों की व्यवस्था छात्राओं के लिए की गई है। स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं के लिए विभागीय पुस्तकालय की व्यवस्था है।

(5) राष्ट्रीय सेवा योजना :-

छात्राओं में कर्म की प्रति निष्ठा, सेवा भावना एवं चरित्र निर्माण की भावना प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाई महाविद्यालय में संचालित है। एन.सी.सी. की सुविधा भी महाविद्यालय में उपलब्ध है।

(6) खेलकूद सुविधाएं :-

महाविद्यालय में खेलकूद की दृष्टि से पर्याप्त सुविधाएं हैं। महाविद्यालय में टेबल टेनिस, बेडमिन्टन, हेण्डबाल, बालबेडमिन्टन, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, जूडो, एथलेटिक्स, व्हालीबाल, सॉफ्टबॉल, शतरंज व अन्य खेलों की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय जनभागीदारी द्वारा राष्ट्रीय पं.र.वि.वि. शालेय स्पर्धा आदि खेलों में भाग छात्राओं को जनभागीदारी शुल्क भी माफ किया जाता है। इसके अतिरिक्त पं.र.वि.वि. टीम में चयनित छात्राओं को ट्रेकसूट, किट, लगातार दो साल चयनित छात्राओं को ब्लेजर प्रदान किया जाता है।

(7) छात्र संघ :-

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र संघ का गठन होगा। यह संघ पूर्णतया प्राचार्य के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

(8) परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्रा को परिचय पत्र अनिवार्यतः रखना होगा, जिसका उपयोग पुस्तकालय की सुविधा पाने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों में सम्मिलित होने या ऐसे अवसरों पर उपयोग कर सकेंगी। परिचय पत्र पर पासपोर्ट फोटो लगाना अनिवार्य होगा।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(9) छात्रवृत्तियां :-

आदिमजाति कल्याण विभाग से प्राप्त शिष्यवृत्तियाँ

अ. अनुसूचित जाति

ब. अनुसूचित जन जाति

स. पिछड़ा वर्ग

द. अल्पसंख्यक

(10) राज्यशासन/केन्द्र शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

अ. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

ब. मेघावी छात्रवृत्ति

(11) Remidial classes & Placement सुविधा :-

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न, Remidial classes & Placement सुविधा एवं कैरियर गाइडेंस प्रकोष्ठ है, जहां छात्रायें अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है।

(12) शिकायत पेटी :-

छात्रायें महाविद्यालय से संबंधित किसी भी असुविधा की शिकायत, शिकायत पेटी में डाल सकती हैं।

(13) महाविद्यालयीन की पत्रिका -

महाविद्यालय की पत्रिका **"प्रेरणा"** का प्रकाशन किया जाता है। छात्रायें अपनी अभिव्यक्ति लेख इत्यादि इसमें दे सकती हैं।

(14) स्टेशनरी एवं फोटोकापी -

परिसर के अंदर ही स्टेशनरी एवं फोटोकापी की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही सायकल स्टैंड की सुविधा भी है।

(15) निःशुल्क कोचिंग -

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।

(16) कैंटीन सुविधा -

महाविद्यालय परिसर में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।

अन्य :-

महाविद्यालय अपने स्तर पर संकलित निर्धन छात्र सहायता निधि से भी गरीब छात्राओं को एकमुश्त मदद करता है। इसके अलावा कुछ छात्रवृत्तियाँ बीड़ी श्रमिक, खदान श्रमिक के बच्चों एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से भी प्रदान की जाती है।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

द्वितीय खण्ड

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता :-

(क) **प्रवेश -** संबंधी नियम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियम होगें।

(ख) **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र -** महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. पिछली संस्था छोड़ने का मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
2. दसवीं से लेकर पिछली कक्षा सहित सभी कक्षाओं की अंक सूची की छायाप्रति।
3. रविशंकर विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की अर्हकारी परीक्षा को छोड़कर अन्य शिक्षा मंडलों या विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) की छायाप्रति जमा करनी होगी।
4. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. स्वाध्यायी छात्रा को चरित्र प्रमाण किन्हीं दो सम्माननीय व्यक्तियों से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
6. अध्ययन की निरन्तरता में यदि व्यवधान आ रहा हो तो ऐसे अन्तराल के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सेवा, नौकरी करने वाली छात्राओं को संस्था या कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी है तो तत्संबंधी स्थायी जाति प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा।
9. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी प्रमाणपत्र मूल रुप से प्रस्तुत करना होगा।

(ग) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत :-

छत्तीसगढ़ में शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत जो 98-99 से प्रभावशाली है और संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा छ.ग. शासन रायपुर के पृ.क्र. 2186/आउशि/शा.1/98 दि. 18.6.98 द्वारा जारी किये गए है, पूर्ण रुपेण मान्य है।

साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रवेश संबंधी नियम मार्गदर्शी सिद्धांतों के रुप में लागू होंगे।

महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1 स्थानान्तरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। मुख्य परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि में 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगी।

2. पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को परिणाम घोषित होने के 10 दिन तक यदि स्थान रिक्त हो तथा आवेदन गुणानुक्रम में आता हो, प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु प्रायोगिक विषय की कक्षाओं में 30 नवम्बर के बाद प्रवेश हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति आवश्यक होगी।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

3. प्राचार्य उन्हें निर्धारित विषय/समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश हेतु चयनित छात्राओं द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हो, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित, सूचना पटल पर लगाई जाएगी। जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी। प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत ही दी जा सकेगी।

प्रवेश की पात्रता :-

1 छ.ग. के मूल/छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालिक व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिसका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों, उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

2. ऐसे आवेदक जिन्होंने कोई ऐसा पाठ्यक्रम लेकर 10+2 के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें संकाय का स्पष्ट नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय से प्रवेश पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे।

3. **अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा** - स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम 45% एवं सैद्धान्तिक विषयों में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

4. पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्राओं को स्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

5. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

6. यदि किसी छात्रा ने किसी संकाय/विषय/ग्रुप में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और वह पढ़ाई छोड़ दे या परीक्षा के प्रथम खंड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुई है या द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण हुई है अथवा परीक्षा पूर्व पढ़ाई छोड़ दे तो ऐसी दशा में उसे नियमित छात्रा के रुप में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

7. जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्राओं/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। ऐसी छात्राओं को तथा महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करने वाली, रैगिंग के आरोपी छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।

8. स्नातक स्तर पर 22 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। सभी अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़े वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जाएगी।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

9. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

10. प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्रा तत्पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

11. स्नातक/स्नात्तकोत्तर अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण एवं नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्राओं के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त सत्र के नियमित छात्रों के प्रवेश में प्राथमिकता दी जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

12. आरक्षण - छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के आवेदक के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में अपरिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के आवेदकों के 14% स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन कम्पीटीशन) में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहती है, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक आदि का भी तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी और शेष संवर्ग की सीटें भरी जाये।

12.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थान आक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये।

12.5 प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्राएं उपलब्ध न हों तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा एक तथा एक से कम प्रतिशत आने पर आरक्षित स्थान एक होगी।

13. प्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाणपत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाए जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

(1) यदि कोई स्नातक/स्नातकोत्तर प्रति अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके प्राप्तांकों से 5% घटाकर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

(2) महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेने के बाद परिवर्तन सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परक्षा परिणाम आने पर प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक की जाएगी। यह अनुमति उन्हीं को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित/संकाय के मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या अधिक हो।

(3) संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद संबंधित परिवर्तन की अनुमति आयुक्त के अनुमोदन के उपरान्त ही दी जा सकेगी।

विशेष :-

(1) जाली प्रमाणपत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन त्रुटि, असावधानीवश किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया हो तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

(2) प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

(3) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ देने पर अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने पर अथवा निष्कासित किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

(4) भूतपूर्व एवं अमहाविद्यालयीन छात्राओं को प्रायोगिक कार्य हेतु प्रवेश की सुविधा, महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भरने और नियमानुसार शुल्क जमा करने पर उपलब्ध है।

(5) सुरक्षा निधि (कॉशन मनी) वापिस पाने की सुविधा सभी छात्राओं को है। इस हेतु 10 दिन पूर्व आवेदन करना तथा महाविद्यालय से टी.सी. प्राप्त कर लेना जरुरी होगा। परिचय पत्र एवं टी.सी. की फोटो कापी के बिना संरक्षित निधि का भुगतान नहीं होगा। छात्रा द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर संरक्षित निधि वापिस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। तीन वर्षो के बीत जाने पर शासन के निर्देशानुसार वापस नहीं होगा।

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

तृतीय खण्ड

विभिन्न शुल्कों का विवरण -

(अ)	**शासकीय शुल्क -**		
	शिक्षण शुल्क -	-	निःशुल्क
	महाविद्यालयीन प्रवेश लेखन सामग्री शुल्क	-	2.00
	प्रवेश शुल्क	-	3.00
(ब)	**अशासकीय शुल्क -**		
	छात्रा संघ शुल्क	-	5.00
	परिचय पत्र शुल्क	-	3.00
	निर्धन छात्रा सहायता निधि शुल्क	-	5.00
	महाविद्यालय विकास शुल्क	-	25.00
	रेडक्रास सोसायटी शुल्क	-	25.00
	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	-	**50.00***
	सम्मिलित निधि शुल्क	-	20.00
	क्रीड़ा शुल्क	-	12.00
	स्नेह सम्मेलन	-	5.00
	स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सा शुल्क)	-	3.00
	छात्रा कॉमन रुम (वाचनालय आदि)	-	20.00
	पुस्तकालय विकास शुल्क	-	10.00
	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (स्नातकोत्तर छात्राओं को देय)	-	15.00
	जनभागीदारी समिति विकास शुल्क	-	**700.00***
	महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	-	**30.00***
	सुरक्षा निधि शुल्क	-	60/100
	आंतरिक मूल्यांकन	-	**32.00***
(स)	विश्वविद्यालय एवं महा. शारीरिक कल्याण शुल्क	-	150.00
(द)	आव्रजन शुल्क (माइग्रेशन शुल्क)	-	300.00
	(अन्य वि.वि. तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को देय)		
	व्यावसायिक फूड साईंस एवं क्वालिटी कंट्रोल	-	500.00 अतिरिक्त

बी.एस.सी. भाग 1 गृहविज्ञान को कम्प्यूटर शुल्क 300/- अतिरिक्त देय होगा।

माइक्रोबायोलाजी प्रवेश हेतु रु. 3000.00 अतिरिक्त देय होगा।

एम.एस-सी. रसायन शास्त्र पूर्व एवं अंतिम वर्ष में प्रवेश हेतु रु. 4000.00* देय होगा।

*** उक्त शुल्कों में शासन/महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय या जनभागीदारी समिति के निर्देश से परिवर्तन भी हो सकता है।**

मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

शास. डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महा., दुर्ग (छ.ग.) ✆ 232377

प्रवेश पत्र
सत्र 20 - 20

छात्रा का नाम ---------- पिता का नाम ----------

माता का नाम ---------- जन्मतिथि ----------

दूरभाष/मो.नं. ---------- श्रेणी : अजा./अजजा/अपिव/अ.सं./सामान

उक्त छात्रा को प्रवेश दिया जाता है।

कक्षा ---------- वर्ग --------- महा. रोल नं. ----------

रसीद क्र. ---------- दिनांक ----------

प्रभारी प्राध्यापक

लेखापाल

विषय : 1. ----------

2. ----------

3. ----------

4. ----------

5. ----------

6. ----------

-: महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः वर्जित है, जो छात्रा इसमें लिप्त पायी जाती है वह संबंधित अधिनियम
   अधीन दण्डनीय मानी जायेगी।
2. महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा मोबाईल/पॉलिथीन का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखना छात्राओं की नैतिक जिम्मेदारी है।

Govt. Dr.W.W. Patankar P.G. Girl's College

G.E. Road, DURG (C.G.)
Ph. (0788) 2323773

Name .....

Date of Birth ..... B.G. .....

Father's Name .....

Mother's Name .....

Address .....

.....

Class	Ad. No.	Year	Sign. Prof Incharge

1. Every student should bring with him/her without fail, this card college, and present it whenever required. This card is not transferable.
2. Payment of fee issue Library books etc, will be possible only on the presentation of this card.
3. If this card is lost a fresh card will be issued on payment of Rs. 3.00

Sign. of Student

Principal